

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उ०प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3869/10/30/76/एक/2015-16, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अधीन रिक्शा योजना (अनुदान संख्या-37) में लेखाशीर्षक "2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवायें-101-रोजगार सेवायें-03-मोटर/सोलर रिक्शों के वितरण हेतु रिक्शा योजना-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में उपलब्ध धनराशि ₹ 18000.00 लाख में से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37) में "लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बस्तियों में इण्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-03-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में ₹ 10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि बी०एम०-9 प्रपत्र पर पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त योजना मद में होने वाला व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बस्तियों में इण्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-03-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा बी०एम०-9 प्रपत्र पर संख्या-आर०ई०-375 ई-8/270 दस-2016, दिनांक 12.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त (बी०एम०-9प्रपत्र)।

मवदीय,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या २७/२०१६/१८८ (१)/६९-१-१६-१४(९)/२०१६, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
२. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
३. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
४. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
५. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
६. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
७. निदेशक, वित्त एवं सांचियकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
८. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
९. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
१०. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,
७.८.१६
(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव॥

फार्म-बी०एम०-९ (पार्ट-१)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन।

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पौछे छपे अनुदेशों को भलीभाँति देय लिया जाय)

अनुदान संख्या-37.....नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग.....रिक्षा योजना.....वित्तीय वर्ष 2015-16
(धनराशि हजार ८० नौ)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकरण।				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत।	आवेदन पत्र देने का दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग।	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत।	संकरण की जोन वाली धनराशि।	वित्त विभाग द्वारा संकरण हेतु अनुमोदित धनराशि।	संकरण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)।
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-37 रिक्षा योजना लेखाशीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवाये-101-रोजगार सेवाये-03-मोटर/सोलर रिक्षाओं के यितरण हेतु रिक्षा योजना-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)।	1800000	1800000	1000000	1000000	800000
योग	1800000	1800000	1000000	1000000	800000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकरण।				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत।	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग।	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय।	संकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि। (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकरण की धनराशि।	संकरण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग। (8+10)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-37 शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना। लेखाशीर्ष- 2217-शहरी विकास आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बस्तियों में इंटरलाकिंग तथा नाली निर्माण आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	1850000	2850000	1000000	1000000	2850000
योग	1850000	2850000	1000000	1000000	2850000

1. ई-रिक्शा के वितरण शिड्यूल के अनुसार पी0एल0ए0 में रखी धनराशि का ही उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में हो पायेगा, जिसके कारण इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि की बचत होगी।
2. स्तम्भ-8 में अंकित उपलब्ध बजट के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है- अल्पसंख्यक बाहुल्य बरिस्तीयों में इंटरलाकिंग रोड, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्थीकृत किये जाने हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्यिनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आरई-375 द-8/270 दस-2016, दिनांक 12.02.2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0।

हस्ताक्षर-

नाम व पदनाम-

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव

प्रशासकीय विभाग- नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मुक्ति कार्यक्रम विभाग।

हस्ताक्षर-

नाम व पदनाम-

(सुभाष चन्द्र)

अनु सचिव

वित्त विभाग।

संख्या-३७/२०१६/१७६ /६९-१-१५-१४(९)/२०१६, दिनांक १५ फरवरी, २०१६

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रष्ठिः-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्त एवं सांचियकीय विदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।